छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

कमांक–एन.एच.एम./1461

नया रायपुर, दिनांक 16.10.2015

प्रति,

1. संभाग आयुक्त,
   समस्त संभाग, छत्तीसगढ़

2. कलेक्टर
   समस्त जिला, छत्तीसगढ़

विषयः– **चिरायु योजना अन्तर्गत शालेय छात्र–छात्राओं एवं आंगनबाड़ियों के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार अभियान बाबत्।**

//0//

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको ज्ञात है कि चिरायु (राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यकम) योजना का शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 15 अगस्त, 2014 को किया गया था। इस कार्यकम के अन्तर्गत अब तक कुल 57.88 लाख बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। जिसके विरूद्ध 9.81 लाख बच्चों का उपचार चिरायु दलों द्वारा किया जा चुका है, तथा 1.51 लाख बच्चों को उच्च स्तरीय उपचार के लिए चिन्हांकित किया गया है। जिलेवार जानकारी *परिशिष्ट–1* में संलग्न है।

शासन द्वारा चिरायु योजना का कियान्वयन एक अभियान (Campaign Mode) के रूप में करने का निर्णय लिया गया है। अभियान अन्तर्गत दिनांक 01.11.2015 से 31.10.2016 तक प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत समस्त छात्र–छात्राओं का एक बार तथा आंगनबाड़ियों में दर्ज बच्चों का उक्त अवधि में दो बार स्वास्थ्य परीक्षण करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त विगत वर्ष उच्च स्तरीय उपचार हेतु चिन्हांकित बच्चों का सम्पूर्ण उपचार भी माह जून 2016 तक कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चिरायु (राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यकम) के कियान्वयन के संबंध में पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है (*परिशिष्ट–2*)। उक्त निर्देशों का अध्ययन कर ले, तथा नवीन निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार कार्यवाही को जाएः–

1.स्वास्थ्य परीक्षण

1.1 कार्यकम अन्तर्गत पूर्व से ही प्रत्येक विकासखण्ड हेतु 02 स्वास्थ्य परीक्षण दल गठित है तथा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अतिरिक्त दलों के नियोजन की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। जिलेवार स्वीकृत दलों की संख्या का विवरण *परिशिष्ट–3* में सलग्न है। प्रत्येक दल में दो आयुष चिकित्सक, एक फार्मासिस्ट व एक ए.एन.एम. की नियुक्ति का प्रावधान है।

कमश.....

लक्ष्य अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण करने हेतु समस्त दलों में पदों की पूर्ति की कार्यवाही 31.10.2015 तक साक्षात्कार Walk in Interview के माध्यम से नवीन भर्ती कर अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा आधार पर, पूर्व से कार्यरत स्टाफ का आवश्यकतानुसार जिले में युक्तियुक्तकरण कर, किया जाना सुनिश्चित कराएं। यदि जिले में युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही को जाती है तो इसकी सूचना अनिवार्य रूप से मिशन संचालक, स्वास्थ्य मिशन को दी जाए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सक विहीन एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य कार्यकर्ता विहीन न हो।

जिले में शालाओं एवं आगंनबाडी में बच्चों की संख्या के आधार पर चिरायु दलों के अतिरिक्त, उपलब्ध चिकित्सकों व ग्रामीण चिकित्सा सहायकों की डयूटी भी इस कार्य हेतु लगाई जा सकती है।

1.2 जिले में स्वास्थ्य परीक्षण का समयबद्व कार्यक्रम गामवार/वार्डवार तैयार कर लिया जावे। इस हेतु जिले में स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग तथा आदिम जाति कल्याण विभाग व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मध्य समन्वय कराने की आवश्यकता होगी। तैयार किये गये समयबद्व कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जावे तथा कार्यक्रम की एक प्रति दिनांक 26.10.2015 तक मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को प्रेषित की जाए।

1.3 चिरायु दलों के आवागमन हेतु कार्यक्रम में वाहन नियोजित करने का पावधान है। वाहनो की स्थाई व्यवस्था की जाए तथा एकरूपता की दृष्टि से राष्टोय स्वास्थ्य मिशन राज्य कार्यालय द्वारा पूर्व से ही प्रदान की गई आई.ई.सी. सामग्री का ही वाहन पर प्रदर्शन सुनिश्चित कराया जाए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक चिरायु दल के साथ दवाईया (Drug Kit) एवं लेपटॉप की भी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इस हेतु कार्यक्रम में पूर्व से ही पर्याप्त प्रावधान है।

1.4 चिरायु कार्यक्रम अन्तर्गत चिरायु दल द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण उपरान्त तत्काल मौके पर उपचार किए जाने योग्य प्रकरणों में उपचार तथा आवश्यक परामर्श दिए जाने का प्रावधान है। यह उपयुक्त होगा कि जिस दिन शाला/आंगनबाडो में स्वास्थ्य परीक्षण आयोजित किया जाए उसके पूर्व बच्चों के अभिभावकों को भी परीक्षण के दौरान उपस्थित रहने हेतु सूचित किया जाए ताकि समुचित परामर्श/सलाह बच्चों के अभिभावकों को दी जा सके। यह सूचना स्वास्थ्य परीक्षण की तिथि के पूर्व ग्राम में मुनादी कराकर अथवा शाला के प्रधान पाठक/आगंनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से भी अभिभावकों को दी जा सकती है।

1.5 चिरायु अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य परीक्षण किये गये बच्चों, उपचारित बच्चों तथा रिफर किये गये बच्चों की जानकारी, चिरायु दल द्वारा साफ्टवेयर के माध्यम से प्रविष्टि किय जाने का प्रावधान है। चिरायु दलों को इंटरनेट के लिए डाटा कार्ड दिये जाने का प्रावधान है। सतत् रूप से समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया जाये कि चिरायु दलों के द्वारा उनके द्वारा किये गये कार्यो की अद्यतन प्रविष्टि दैनिक आधार पर की जावे।

क्रमश.....

2. पूर्व से चिन्हांकित बच्चों का परीक्षण व उपचार

2.1 जिलेवार चिन्हांकित बच्चों की जानकारी परिशिष्ट–1 में संलग्न है। उक्त जानकारी का विकासखण्डवार/ग्रामवार/शालावार विवरण तथा सूची राष्टोय स्वास्थ्य कायक्रम की वेबसाईड cgwebnic.in/health/rbsk/ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा जिला कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा लॉगइन कर डाउनलोड की जा सकती है। उक्त सूचियां जिला स्तर पर मुद्रित करा ली जाये ।

2.2 **राज्य स्तर से चिन्हांकित बच्चों को 04 समूहों में वर्गीकृत** किया गया है। प्रत्येक समूह में जिलेवार बच्चों की संख्या जानकारी *परिशिष्ट–4* में संलग्न हैं विभिन्न समूहों के बच्चों के परीक्षण व उपचार की कार्यवाही निम्नानुसार की जानी हैः–

2.2.1 समूह C में ऐसे बच्चे वर्गीकृत किए गए हैं जिनका उपचार मात्र औषधियां वितरित कर किया जा सकता है। यह कार्य पुरूष/महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से माह जनवरी 2016 के अन्त तक किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस हेतु औषधियों की आवश्यकता का आकंलन, औषधियों की व्यवस्था एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वितरण तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से बच्चों को वितरण कराने हेतु विकासखंड चिकित्सा अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगे। शहरी क्षेत्रों के लिए व जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का दायित्व होगा।

2.2.2 समूह B में ऐसे बच्चे चिन्हांकित हैं जिनका उपचार जिला अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में किया जा सकता है। प्रत्येक जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रत्येक गुरूवार को चिरायु योजना में चिन्हांकित बच्चों का उपचार किया जाए। जिले में समस्त पूर्व चिन्हांकित बच्चों को उपचार जून, 2016 तक पूर्ण करने की दृष्टि से समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर लिया जाए। इसके अतिरिक्त चिरायु योजना के अन्तर्गत द्वितीय वर्ष में चिन्हाकित होने वाले बच्चों का भी उपचार कराया जाए व यह व्यवस्था स्थायी एवं सतत् रूप से संचालित की जाए।

नियत दिवस में समुचित उपचार उपलब्ध कराने की दृष्टि से विशेषज्ञ चिकित्सकों की व्यवस्था करनी होगी। संभागीय संयुक्त संचालक का दायित्व होगा कि वे संभाग में जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध विशेषज्ञ चिकित्सकों की डयूटी ऐसे जिला अस्पतालों में लगाएगें जहां विशेषज्ञ उपलब्ध न हो। साथ ही उपचार हेतु आवश्यक जांच (Diagnostics & pathology) की भी उपयुक्त व्यवस्था करना जिला चिकित्सालय हेतु सिविल सर्जन एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का दायित्व होगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों व जांच (Diagnostics & pathology) की व्यवस्था जिले के लिए राज्य स्तर से मनोनीत सहयोगी संस्था से समन्वय कर भी की जा सकती है। मनोनीत संस्थाओं की सूची *परिशिष्ट–5* में संलग्न है।

क्रमश.....

2.2.3 समह A में ऐसे बच्चें वर्गीकृत किये गये है जिनके उपचार हेतु अतिविशिष्ट/विशेषज्ञ सेवाओं की आवश्यकता होगी। इन बच्चों के उपचार हेतु जिला अस्पताल में परीक्षण शिविर आयोजित किया जाए। यदि किसी विकासखण्ड में पर्याप्त संख्या में बच्चे चिन्हांकित हों तो विकासखण्ड स्तर पर भी शिविर आयोजित किया जा सकता है। परन्तु विकासखण्ड स्तर पर शिविर आयोजन की दशा में विशेषज्ञ चिकित्सकों व पैथालॉजी की जांच की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

2.2.4 समूह D में ऐसे बच्चे वर्गीकृत है जिन्हें चिकित्सकीय उपचार के स्थान पर अन्य सलाह एवं पुनर्वास की आवश्यकता होगी। इन बच्चों के उपचार एवं अभिभावकों को परामर्श हेतु व्यवस्था के संबंध में पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे।

3. शिविर व्यवस्था

3.1 समूह A में वर्गीकृत बच्चों के उपचार एवं जांच हेतु आयोजित शिविर में जिले में उपलब्ध विशेषज्ञ चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई जाए। विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी होने पर संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सवायें के माध्यम से अन्य जिलों से चिकित्सकों की डयूटी लगवाई जाए। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर से प्रत्येक जिले के लिए एक चिकित्सा संस्थान को भी मनोनीत किया गया है (*परिशिष्ट–5*)। मनोनीत संस्था के माध्यम से भी आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ चिकित्सकों की व्यवस्था की जाए। उक्त समन्वय में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर इस संबंध में श्री विजेन्द्र कटरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, RSBY से दूरभाष क्रमांक–9993266699 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

3.2 शिविर में जांच के उपरांत, उपचार हेतु आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, संजीवनी योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना अथवा मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के अंतर्गत प्रकरण तैयार किया जावे तथा उपचार हेतु संस्था का चिन्हांकन भो कर लिया जाए। इस प्रकार तैयार किये गये प्रकरणों की समीक्षा कर, संचालक, स्वास्थ्य सेवायें द्वारा स्वीकृति जारी की जाए। इसके अतिरिक्त ऐसे रोग जिनका उपचार राष्ट्रीय/मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कराया जा सकता है, का उपचार उक्त योजनाओं में कराया जाए।

3.3 बच्चों को शिविर में लाने ले जाने हेतु चिरायु दलो हेतु नियोजित एवं अन्य शासकीय वाहन का उपयोग किया जाए तथा कार्यक्रम में उपलब्ध राशि से आवश्यकतानुसार पी. ओ.एल. की व्यवस्था की जाए।

3.4 शिविर के आयोजन हेतु प्रति शिविर अधिकतम 1.00 लाख रूपये की राशि व्यय की जा सकती है।

3.5 समस्त चिन्हांकित बच्चों का उपाचार जून, 2016 तक किया जाना है, इस हेतु यह आवश्यक होगा कि अस्पतालों में जांच हेतु आवश्यक Consumables एवं सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इस हेतु जिले को पर्याप्त आबंटन दिया गया है। यदि अतिरिक्त आबंटन की आवश्यकता है तो राशि की मांग संचालक, स्वास्थ्य सेवायें से 31.10.2015 तक की जाए। औषधियों की उपलब्धता का भी आंकलन कर लिया जाए तथा CGMSC के माध्यम से औषधियों की भी पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

कमश.....

चिरायु अभियान माननीय मुख्यमंत्रीजी की प्राथमिकता का अभियान है। राज्य स्तर पर इस अभियान का पूर्ण समन्वय मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा किया जाएगा। जिला स्तर पर लक्ष्यों की पूर्ति हेतु जिला कलेक्टर द्वारा संपूर्ण अभियान की कार्ययोजना तैयार करने व उसके कियान्वयन तथा अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता होगी। आपसे अपेक्षा है कि जिले में अभियान के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति किया जाना सुनिश्चित करें।

16/10/15

(विकास शील)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग

परिशिष्ट -3

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
इंद्रावती भवन, नया रायपुर

855/1460

रायपुर दिनांक– 16/10/15

//आदेश//

कमांक– /संस्वासे/2015 :– राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यकम अंतगत राज्य के शालाओं व आगंनबाड़ी केन्द्रों में समस्त बच्चों का लक्ष्य अनुरूप स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने दल की कमी को दृष्टिगत रखते हुए, पूर्व स्वीकृत दल के अतिरिक्त उक्त वर्णित तालिका अनुसार जिलावार अतिरिक्त दल की स्वीकृति दी जाती है।

क	जिला का नाम	पूर्व स्वीकृत दल	अतिरक्त दलो की संख्या	क	जिला का नाम	पूर्व स्वीकृत दल	अतिरक्त दलो की संख्या
1	बालोद	10	1	15	कबीरधाम	8	1
2	बलौदाबाजार	12	2	16	कोण्डागांव	10	1
3	बलरामपुर	12	2	17	कोरबा	10	2
4	बस्तर	14	2	18	कोरिया	10	2
5	बेमेतरा	8	1	19	महासमुंद	10	1
6	बीजापुर	8	2	20	मुगंली	6	1
7	बिलासपुर	14	3	21	नारायणपुर	4	0
8	दंतेवाडा	8	2	22	रायगढ	18	2
9	धमतरी	8	2	23	रायपुर	8	4
10	दुर्ग	6	4	24	राजनांदगांव	18	3
11	गरियाबंद	10	1	25	सुकमा	6	3
12	जांजगीर–चांपा	18	2	26	सूरजपुर	12	2
13	जशपुर	16	1	27	सरगुजा	14	2
14	कांकेर	14	1		योग	292	50

उक्त अतिरिक्त स्वीकृत जिलावार समस्त दलों के पदों की भर्ती प्रकिया दिनांक 31.10.2015 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जावें।

आयुक्त 16/10/15
स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ
नया रायपुर, दिनांक

कमांक–

प्रतिलिपिः–

1. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, समस्त जिला छत्तीसगढ की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिला छत्तीसगढ़ की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही कर मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अवगत करावें।
4. कार्यालय प्रति।

आयुक्त 16/10/15
स्वास्थ्य सेवायें ,छत्तीसगढ